

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/27/2013-14

02 जुलाई, 2013

श्रीयुत वरिष्ठ निरीक्षक
रेलवे मेल,
दिल्ली सॉर्टिंग विभाग,
आर.एम.एस. भवन,
दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री सतीश चन्द्र शर्मा, राज्य अध्यक्ष, रेल डाक सेवा दैनिक मजदूर युवा संस्था, नई दिल्ली/प्रधान डाकघर स्थानीय इलाका पुरानी दिल्ली-110006 का दिनांक 31 मई, 2013 का पत्र दिनांक 02 जुलाई, 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रु. का पो.आ. संख्या 11एफ 014235 संलग्न कर अपने आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है चूंकि पत्र की विषय वस्तु आपके विभाग से संबंधित है। अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्यवाही से आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

श्री सतीश चन्द्र शर्मा, राज्य अध्यक्ष, रेल डाक सेवा दैनिक मजदूर युवा संस्था, नई दिल्ली/प्रधान डाकघर स्थानीय इलाका पुरानी दिल्ली-110006 - कृपया विस्तृत जानकारी हेतु उक्त जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

3/7/12

27-27



सेवा में,

श्री 00 हामिद अंसारी (अध्यक्ष राज्यसभा)

भारत सरकार शासन, अशोक कक्ष, नई दिल्ली-110001

श्री राधेश्याम शर्मा (मुख्य डाकपाल) प्रधान डाक-घर-झिलमिल-दिल्ली-

श्री अश्वनी कुमार (केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री) भारत सरकार नई दिल्ली

के आदेश न0 77/2013 ता0 6.5.2013 के अनुसार संस्था (Organization) - की - मान्यता (Recognize) मिलने के अनुसार श्री कपिल सिब्बल (केन्द्रीय डाक एवं दूर संचार मंत्री) भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार (Order) संस्था के पच्चीस अधिकारियों को इकाइयों (Unit) के माफत - आमंत्रित - (Invite) न होने की श्री सतैन्द्र मिश्रा - (मुख्य सूचना आयुक्त) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकार धारा-2005 (RTI) के अन्तर्गत जानकारी मांगने हेतु:-

महोदय,

निवेदन यह है कि श्री चन्द्र पाल सारस्वत (अधीक्षक) रेल/डाक सेवा दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली ने आदेश न0 अधीक्षक/01/निलंबन/स.च. शर्मा/2012 ता0 2.2.2012 के अनुसार ता0 2.02.2012 से ता0 24.4.2013 तक निलम्बन (Suspend) रखने के बाद श्री भारत सिंह बिष्ट (अध्यक्ष एवं प्रवर - अधीक्षक) रेल-डाक सेवा भवन दिल्ली एवं श्री गिरीश चन्द्र पंत (सदस्य एवं मुख्य डाकपाल) प्रधान डाकघर, पुरानी दिल्ली और श्री चन्द्रपाल सास्वत (सदस्य एवं अधीक्षक) रेल डाक सेवा दिल्ली रेलवे स्टेशन दिल्ली के द्वारा-गठित संसोधन समिति (Review Committee) ने आदेश न0 वी-36/संशोधन समिति/2013 ता0 25.4.2013 के अनुसार आरोप न0 चौदह (Rule-14) पर एक पक्षीय फैसला (Decision) लेकर श्री वी.एन. श्री कृष्ण (अध्यक्ष) छठा वेतन आयोग भारत सरकार नई दिल्ली के आदेशानुसार तुरन्त सेवा निवृत्ति (C.R.S.) के अनुसार मुझे सेवा निवृत्ति (Retirement) कर दिया है जिस सेवा निवृत्ति को मैंने स्वीकार (Accept) नहीं किया इसी कारण जारी निर्देश पत्रों को प्राप्त नहीं किया मैं सतीस चन्द्र शर्मा पर श्री चन्द्रपाल सास्वत (अधीक्षक) रेल डाक सेवा दिल्ली रेलवे स्टेशन दिल्ली ने आदेश न0 अधीक्षक/04/2011-12 ता0 15.3.2012 के अनुसार आरोप (alligation) लगाया कि मैंने रेल डाक सेवा (Railway Mail Service) दैनिक मजदूर युवा-विकास संस्था (Dailywages Young Vikas Organization) दिल्ली प्रदेश/नई दिल्ली/ प्रधान-डाकघर/ स्थानिय इलाका/पुरानी दिल्ली की संस्था का निर्माण (Built of organisation) करके तूने केन्द्रीय सरकार के आदेशों का अपमान (Insult) किया है जबकि उस संस्था को श्री अश्वनी कुमार (केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री) भारत सरकार नई दिल्ली ने आदेश न0 77/2013 ता0 6.5.2013 से तीन सालों के लिए मान्यता प्रदान (Grant of recognize) की है संस्था को मान्यता मिलने के बाद मैंने श्री कपिल सिब्बल (केन्द्रीय डाक एवं दूर संचार मंत्री) भारत सरकार नई दिल्ली को सम्बोधित (By name) ता0 15.5.2013 में आवेदन पत्र के रूप में ज्ञापन (Notice) भेजकर संस्था के पच्चीस नियुक्त अधिकारियों को इकाइयों के माफित आमंत्रित करने के लिए भेजा जिसकी वास्तविक जानकारी देकर श्री सजीव थापर (प्रधानाचार्य एवं मुख्य महाडाक-पाल) दिल्ली-परिमण्डल मेघदूत भवन नई दिल्ली से किसी भी प्रकार के आदेश जारी न होने की श्री सतैन्द्र मिश्रा (मुख्य सूचना आयुक्त) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकार धारा-2005 के अन्तर्गत जानकारी लेना चाहता है:- प्रमाण हेतु:- भेजे आवेदन एवं सूचना मांगने की किमत राशि-10 रु साथ संगलन है:-